

नोडल अधिकारी  
करोली

25-1-18

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी व प्रतिवादी  
वकील उपस्थित नहीं। प्रतिवादी वकील श्री  
श्याम प्रसाथ गार्ग हाथ दिनांक 3-10-2017  
को प्रतिवादीगण की ओर से पेश करने  
से मना किया गया। जिस पर इस न्यायालय  
से प्रतिवादीगण को पत्रिक 2279-81 दिनांक  
19-12-17 को जरिये नोटिस तलब किया गया  
जिस पर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से  
ताम्ील हुई है। प्रतिवादी गण को आज कार 2  
श्रावण दिलाई गई। किन्तु कोई उपस्थित नहीं  
हुआ। ना ही किसी प्रकार का कोई आवेदन  
मिलत हुआ। अतः प्रतिवादीगण का काउण्ट  
क्लेम अदम हाजरी अदम पेशी से  
खारिज किया जाता है। पत्रावली के खक  
शुमार होकर वाद तामील दारिबलदफ्तर  
हो। मुकदमा नम्बर 416/2002-31 (वार्जिज किया जाता है)

नोडल अधिकारी  
करोली